सं. 1/2/2007 – पी.एंड पी. डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
2 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित माता–पिता को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के का.ज्ञा.सं. 45/86/97–पी एंड पी डब्ल्यू (ए)–भाग I, दिनांक 27.10.1997 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा कुटुम्ब पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से कुटुम्ब की परिभाषा में "माता–पिता जो पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह (स्त्री/पुरुष) जीवित थे, को शामिल करने के लिए किया गया था बशर्ते कि दिवंगत कर्मचारी के पीछे न तो उसकी विधवा और न ही उसका कोई बच्चा जीवित हो"।

2. यह पाया गया है कि मंत्रालयों/विभागों ने उसका अर्थ इस प्रकार किया है कि माता–पिता कुटुम्ब पेंशन के लिए उसी स्थिति में पात्र हैं जब दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए केवल वे ही जीवित हों। यदि दिवंगत कर्मचारी की विधवा/अथवा एक या अधिक बच्चे जीवित हैं, तो माता–पिता ऐसी विधवा और/अथवा बच्चों के बाद कुटुम्ब पेंशन प्राप्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

3. एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की कोई विधवा/विधुर अथवा कोई बच्चा जीवित नहीं है, तो आश्रित माता–पिता कुटुम्ब पेंशन की प्राप्ति हेतु सीधे ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे मामलों में, जहां कोई दिवंगत सरकारी कर्मचारी की कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चा जीवित हो, परंतु जीवन साथी के पुनः विवाह अथवा मृत्यु और/अथवा बच्चा/बच्चों की मृत्यु अथवा पात्र न रह पाने पर बदली हुई परिस्थिति में, आश्रित माता–पिता कुटुम्ब पेंशन के पात्र हो जाते हैं। तथापि, इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08–पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अुनसार संतानहीन विधवा, निर्भरता मानदण्ड के अधीन अपने पुनः विवाह के पश्चात् भी कुटुम्ब पेंशन की हकदार होगी। ऐसी स्थिति में दिवंगत कर्मचारी के माता–पिता, संतानहीन विधवा की मृत्यु के पश्चात् अथवा अन्य सभी स्त्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय नियमों के अंतर्गत आश्रित मानदण्ड हेतु निर्धारित आय के बराबर या उससे अधिक हो जाने पर पेंशन के हकदार होते हैं।

4. इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 2 सितम्बर, 2009 के उनके यू. ओ. सं. 248/ई. वी./2011 की सहमति से जारी किया जाता है।

(के. के. मित्तल)
निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की मानक डाक सूची के अनुसार / सी. जी. ए. एवं सी. पी. ए. ओ.
पेन्शन भोगी एसोसिएशन।